



# कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

संख्या 530/61/31-जी.न. / जे.टी.नगर / 2000-2001

दिनांक 31-10-2002

श्रीमती/श्री. मंसत प्रो.जी. प्रदीप कुमार जैन जे.टी.नगर डारा चेंबर परसन श्रीमती सुष्मा सिंह  
ख.नं. 128 व 131 एम.एल.ए. इलाका पुरानोटा एम.एल.ए. 154 एम.एल.ए. जयपुर  
पवनपुरी, निकट जी.टी.नगर, जे.टी.नगर

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12-2001 के सम्बन्ध में आपके प्रस्तावित 'जे.टी.नगर' भवन निर्माण की मोहल्ला/कम्प्लेक्स/एम.एल.ए. पवनपुरी निकट पर निम्नलिखित शर्तें (कन्डीशन्स) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्षों तक बंध है। स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं होता है।
3. भवन चित्र जिस प्रयोजन हेतु कोई स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी शर्तों आपसि के दाय होना।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी वह शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उनके पृष्ठ किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हो।
7. बिजली की लाईन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सविस लेने अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेंगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृति मानचित्रों का एक सेंट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मोकें पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो यह शर्तें भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करे।
12. सुपरबीजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 01-12-2001 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 42% पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृति चित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना अज्ञात प्रमाण लिये भवन को प्रयोग में न लायें।

तथा 3365 वर्ग मीटर की ग्रा.न. व. स्वरूपा है।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर भार.सी.सी.टाई बीम डालना उचित आवश्यक है। जो जी.पी.सी. लेवल, लिटल केवल व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

**संलग्नक :**

1. दो सेंट स्वीकृत मानचित्र पत्रांक /MP/ दिनांक प्रतिनिधि : 1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद के स्वीकृत मानचित्र सहित।
2. विशेष कार्याधिकारी का सूचनापत्र एवं आ० का० हेतु।

सी०ए०टी०पी०/चमर निमोजक : गाजियाबाद




सी०ए०टी०पी०/चमर निमोजक : गाजियाबाद

यदि मानचित्र कोई गलत तथ्यों की आधार प्रमाण स्वीकृत कराना पता है। तो J.P.-J.P. &

पत्र सं ५७ US  
२६ ५०

राष्ट्रीय कृषि प्रकल्प  
ग्राम - मुसुप्रपुर तालीका  
परगाणा - जलालबाग  
तहसील - गौजिपुर्णा  
जिला - गौजिपुर्णा  
खसत - चक्रवर्ती सं. १६०६-२०६०  
प्लान नंबर - १३४३ फसल



देवलीका

16  
पत्र सं ५७ US  
पत्र सं ५७ US  
पत्र सं ५७ US  
पत्र सं ५७ US

Handwritten signatures and names at the bottom right of the page.